



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 10-04-2025

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप) लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ के कर्मियों के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्ययक में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹०-2,02,10,000.00 (रूपया दो करोड़ दो लाख दस हजार मात्र) का एक तिहाई अर्थात् ₹०-67,36,000.00 (रूपया सड़सठ लाख छत्तीस हजार मात्र) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹०-1,50,07,000.00 (रूपया एक करोड़ पचास लाख सात हजार मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	मानक मद	प्रयोजन	बजट प्रावधान (₹०)	व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (₹०)
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रख-रखाव संचालन आदि	2,02,10,000.00	67,36,000.00
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	कर्मियों के वेतनादि	1,50,07,000.00	1,50,07,000.00
		योग:	3,52,17,000.00	2,17,43,000.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
2. इस संस्थान के कर्मियों के वेतन हेतु नियमानुसार तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ₹० 2,17,43,000.00 (₹० दो करोड़ सत्रह लाख तिरालिस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001800 इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

संख्या-8(1)/2025/173/77-1-2025(1618045), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु०-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।